संख्या-366/2023/1073रासनि/23-1-23/002-03(ए)/आरएसएन-एलकेओ/23

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 08 मई, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से लखनऊ मण्डल के विभिन्न जनपदों के 23 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-4001/CE-HQ1/RSN3054/LKO/2023-24, दिनांक 29.04.2023, पत्र संख्या-4060/CE-HQ1/RSN3054/LKO/2023-24, दिनांक 01.05.2023 एवं पत्र संख्या-4112/CE-HQ1/RSN3054/LKO/2023-24, दिनांक 03.05.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार लखनऊ मण्डल के विभिन्न जनपदों के 23 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 14,83,11,000/- (रूपये चौदह करोड़ तिरासी लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-3 खीरी	भरोचा नगला सम्पर्क मार्ग।	268 /2023/722 रासनि /23-1-2023/002-60 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक 13.03.2023-दिनांक-13-03-2023	40.60 40.60 34.74 0.33 **40.27**	0.01	40.26	36.23
2	नि.ख.-3 खीरी	ढकिया विरिया सूडा सम्पर्क मार्ग।	268 /2023/722 रासनि /23-1-2023/002-60 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक 13.03.2023-दिनांक-13-03-2023	44.10 44.10 34.77 0.31 **43.79**	0.01	43.78	39.40
3	नि.ख.-1 उन्नाव	मुशीगंज से रावतपुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022-दिनांक-24-12-2022	103.15 103.15 86.97 0.15 **103.00**	25.79	77.21	69.49
4	नि.ख.-1 उन्नाव	माखी कोटरा रोड किमी0 2 से रसूलाबाद सम्पर्क मार्ग।	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022-दिनांक-24-12-2022	97.72 97.72 82.24 0.15 **97.57**	24.43	73.14	65.83
5	नि.ख.-2 लखनऊ	गोसाईगंज-बनी-मोहान मार्ग	64 /2023/1356 रासनि (18)/23-1-22/001-60 आरएसएन/2022 टीसी दि	128.04 128.04 58.39	32.01	87.15	78.44

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	8.88 **119.16**			
6	प्रा.ख. लखनऊ	रिंग रोड (खुर्रम नगर) पर स्थित श्री राम धर्म कांटा से वृद्धा आश्रम सत्यार्थी धाम, एस0वी0पी0 इण्टर कालेज होते हुए कुर्सी रोड तक मार्ग का मरम्मत एवं सुधार का कार्य	314/2021/1277 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2-दिनांक-30-11-2021	202.43 202.43 60.42 7.00 **195.43**	0.24	195.19	67.50
7	प्रा.ख. लखनऊ	लाटूश मार्ग।	421 /2022/840 रासनि/23-1-22/005-41 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-09-11-2022	74.23 74.23 47.95 2.20 **72.03**	13.36	58.67	52.80
8	प्रा.ख. लखनऊ	लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग से इन्दिरा कैनाल पटरी एक्वाडक्ट सल्लाहीमऊ मीसा सुरियामऊ शाहजी का पुरवा होते हुए गोसाईगंज तक मार्ग।	421 /2022/840 रासनि/23-1-22/005-41 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-09-11-2022	49.14 49.14 34.70 2.00 **47.14**	8.85	38.29	34.46
9	नि.ख.-2 रायबरेली	बिलग्राम उन्नाव प्रयागराज मार्ग से बड़ा भगतखेड़ा मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य।	89/2021/394 रासनि/23-1-21-66 रासनि/20-दिनांक-15-03-2021	28.57 28.57 21.12 0.03 **28.54**	27.11	1.43	1.29
10	नि.ख.-3 खीरी	सिसैया धौरहरा निघासन पलिया धनौराघाट पूरनपुर मार्ग (वेस्ट प्लास्टिक)	64 /2023/1356 रासनि (18)/23-1-22/001-60 आरएसएन/2022 टीसी दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	244.13 244.13 163.61 29.21 **214.92**	61.03	153.89	138.50
11	प्रा.ख. खीरी	मैगलगंज मार्ग से औरंगाबाद कस्बा सम्पर्क मार्ग	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022-दिनांक-24-12-2022	82.55 82.55 54.08 1.10 **81.45**	20.63	60.82	54.74
12	नि.ख.-1 हरदोई	श्हरदोई बावन सवायजपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0- 29 ए) के कि0मी0-1 से 7 एवं 15 से 17 तक आई0आर0क्यू0पी0 के अन्तर्गत मरम्मत व सतह सुधार का कार्य।	15/2022/1562 रासनि/23-1-21-05 रासनि/21 टी0सी0-2-दिनांक-03-01-2022	1102.08 1102.08 934.99 10.65 **1091.43**	936.74	154.69	89.62
13	नि.ख.-1 हरदोई	आमतारा मैकपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	420/2022/820 रासनि/23-1-22-003-41 आरएसएन/2022 टी0सी0-2-दिनांक-08-11-2022	81.25 81.25 63.48 1.65 **79.59**	20.31	59.28	53.08
14	नि.ख.-2 लखनऊ	टिकरा से पश्चिम परवर वाया दूरगा खेडा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022	134.32 134.32 108.50 13.48 **120.84**	33.58	87.26	78.53
15	नि.ख.-1 खीरी	सिसैया ईसानगर कतौली जमदरी दुर्गापुर पड़री मार्ग के कि0मी0 20 से 29 में पुनर्निर्माण का कार्य।	48/2022/769 रासनि/23-1-21-118 रासनि/21-दिनांक-07-01-2022	260.59 260.59 173.26 50.44 **210.15**	158.03	52.12	46.91
16	नि.ख.-3 खीरी	अलीगंज शाखा नहर की पटरी	421 /2022/840 रासनि/23-1-22/005-41 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-09-11-2022	443.57 443.57 243.46 23.80 **419.77**	79.84	339.93	199.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
17	नि.ख.-1 सीतापुर	बहराईच सीतापुर मार्ग के चैनेज 52.700 से 53.00 तक विशेष मरम्मत का कार्य।	216 /2023/346 रासनि /23-1-23/002-12 आरएसएन/2023 दि 18.02.2023-	63.16 63.16 62.16 0.54 **62.62**	6.31	56.31	50.68
18	प्रा.ख. सीतापुर	खरौआ सेवता सम्पर्क मार्ग	192 /2023/216 रासनि /23-1-23/001-50 आरएसएन/2022 टीसी-3 दि 08.02.2023-	44.28 44.28 36.78 0.08 **44.20**	11.07	33.13	29.82
19	प्रा.ख. सीतापुर	रेउसा-शिकोहा-चन्द्रसेनी-मोहाला- सुकेटा साण्डा मार्ग	268 /2023/722 रासनि /23-1-2023/002-60 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक 13.03.2023-	103.77 103.77 83.88 0.10 **103.67**	2.08	101.59	91.43
20	प्रा.ख. सीतापुर	पटना सम्पर्क मार्ग	268 /2023/722 रासनि /23-1-2023/002-60 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक 13.03.2023-	61.31 61.31 61.22 0.09 **61.22**	1.23	59.99	53.99
21	नि.ख.-1 उन्नाव	बॉगरमऊ बाईपास सम्पर्क मार्ग	64 /2023/1356 रासनि (18)/23-1-22/001-60 आरएसएन/2022 टीसी दि 07.01.2023	86.10 86.10 69.93 0.05 **86.05**	21.53	64.52	58.07
22	नि.ख.-2 राय बरेली	दृगपालगंज से उन्नाव बार्डर सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत सी0सी0 एवं नाली का कार्य	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022-	64.59 64.59 49.41 0.26 **64.33**	16.15	48.18	43.36
23	नि.ख.-2 राय बरेली	खीरों पाहों सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत सी0सी0 एवं नाली का कार्य	493 /2022/1025 रासनि/23-1-2022/001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022-	73.48 73.48 56.07 0.29 **73.19**	18.37	54.82	49.34
						कुल योग	1483.11

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्यों की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि कोई कार्य नगरीय सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित है, तो प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नगरीय निकाय चुनाव के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी रहने तक उक्त कार्यों हेतु धनराशि निर्गत न की जाय।

(10) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन क्षेत्रों में वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है, उन क्षेत्रों को छोड़कर नवीनीकरण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने होंगे। आदर्श आचार संहिता समाप्ति के बाद सम्पूर्ण क्षेत्रों में नवीनीकरण के कार्य प्राथमिकता पर कराये जायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला रू0 14,83,11,000/- (रूपये चौदह करोड़ तिरासी लाख ग्यारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-366/2023/1073रासनि/23-1-23/002-03(ए)/आरएसएन-एलकेओ/23, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11-.नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।